[2019] 11 एस. सी. आर. 554

मंजीत सिंह

वी.

पंजाब राज्य

(2011 की आपराधिक अपील सं. 1079)

सितंबर 3,2019

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 148 , 302/149 , 323 , 324 और

326/149 अभियोजन-सात अभियुक्तों (जिनमें शामिल हैं)

शुरुआत में

अपीलार्थी-अभियुक्त 'एम' और अपीलार्थी-अभियुक्त 'एस') अपीलार्थी-अभियुक्त 'एम' के खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप नहीं बनाए गए थे

और दो अभियुक्त 'पी' और 'एन' आवेदन के बाद यू/एस। 319 Cr.P.C।

उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे

एक आवेदन यू/एस। 321 Cr.P.C।

उनके खिलाफ मामला वापस लेने से अदालत ने इनकार कर दिया था

ट्रायल कोर्ट घायल आंख की गवाही पर भरोसा करता है-गवाह पीडब्लूएस 5 और 6; चिकित्सीय साक्षय और प्रत्यक्षीकरण की प्रतिरक्षा याचिका को अस्वीकार करना और

झूठे निहितार्थ ने सभी सात अभियुक्तों को दोषी ठहराया उच्च न्यायालय में अपील

अपील के लंबित रहने के दौरान, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी

अदालत

क्षमा करें यू/कला। 161 अपीलार्थी के लिए संविधान के-अभियुक्त 'एम' और दो अभियुक्त 'पी' और 'एन' को भी क्षमा के अनुदान को चुनौती दी गई

उच्च न्यायालय ने दो अभियुक्तों 'पी' और 'एन' को संदेह का लाभ दिया। अन्य पाँच अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए

आदेश दें

माफी देने की अपील को भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया था

दो दोषी अभियुक्त-गिरफ्तार: अभियोजन पक्ष का मामला है दो घायल चश्मदीद गवाहों द्वारा समर्थित जिनकी गवाही दी गई है

साथ ही अदालतों द्वारा उनकी गवाही के नीचे विश्वसनीय पाया जाता है एफ. आई. आर. में दिए गए संस्करण के अनुरूप है और आगे इसकी पुष्टि की गई है

चिकित्सीय साक्षय-उनके साक्षय को केवल त्याग नहीं दिया जा सकता है।

इस कारण से कि किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी-शत्रुता का कारक, अभियुक्त द्वारा उनके झूठे निहितार्थ का आरोप लगाते हुए अनुरोध किया गया

मामला, बल्कि उद्देश्य साबित करने में अभियोजन मामले का समर्थन करता है

अपराध करना-बहाना की याचिका खोखली और विचार के बाद की है।

मामले के तथ्यों में यह साबित होता है कि अभियुक्त व्यक्ति

एक सामान्य उद्देश्य के साथ मिलकर काम किया और गैरकानूनी माना गया सभा, घातक हथियारों के साथ दंगे में शामिल होना और कारण बनाना

शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों को गंभीर शारीरिक चोटें

554 मनजित सिंह बनाम। पंजाब राज्य

दोनों अभियुक्तों के बरी होने का कोई कम करने वाला प्रभाव नहीं होगा जिससे अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया जाएगा।

एसएस। 141 और 149-गैरकानूनी सभा-आयोजित: एक गैरकानूनी सभा के महत्वपूर्ण तत्व इसे बनाने वाले व्यक्तियों की संख्या यानी 5 और उनका सामान्य उद्देश्य है।

आपराधिक कानून:

सामान्य उद्देश्य-आयोजित का निर्धारण: गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा अपनाया गया आचरण; उनका व्यवहार और उनके द्वारा उठाए गए हथियार सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए कुछ बुनियादी और प्रासंगिक कारक हैं।

आपराधिक मुकदमा:

सह-अभियुक्त को बरी करने का मामला-प्रभावित-आयोजित: सह अभियुक्त को स्वयं बरी करना अन्य अभियुक्तों को बरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. हालाँकि वर्तमान मामले में, बरी किए गए 2 अभियुक्तों पर आरोप लगाया गया था कि वे खाली हाथ थे और उन्हें किसी भी व्यक्ति को कोई चोट पहुँचाने की भूमिका नहीं सौंपी गई थी, लेकिन निचली अदालत ने इसे सामान्य उद्देश्य का मामला पाया और इन दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया।

आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से अन्य अपराधों का भी। उच्च न्यायालय, हालांकि पूरी तरह से सुनवाई के बाद निचली अदालत से सहमत हो गया सभी भौतिक पहलुओं पर अभिलेख पर सामग्री की जांच

लेकिन, जहां तक इन दो अभियुक्त व्यक्तियों का संबंध है, अपनी चर्चा के समापन भाग में, उन्हें संदेह का लाभ देने के लिए आगे बढ़े। यद्यपि उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों को संदेह के लाभ के साथ बरी कर दिया गया था और उनके बरी होने के फैसले को चुनौती नहीं दी गई है

लेकिन फिर, इस तथ्य का, अपने आप में, अन्य पांच अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन मामले पर कोई कम करने वाला प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपीलार्थियों सहित। यह तुच्छ है कि सह को बरी कर दिया गया

अभियुक्त अपने आप में अन्य अभियुक्तों को बरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भले ही सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भौतिक साक्षय समान हो, लेकिन उनमें से कुछ को बरी करने से कोई नुकसान नहीं होता है। परिणाम यह है कि अन्य अभियुक्तों को भी बरी करने की आवश्यकता है। भले ही बरी

किए गए अभियुक्तों की संलिप्तता को उन्हें सौंपी गई अनिश्चित भूमिका को देखते हुए संदिग्ध माना जाता है, यह [2019] 11 एस. सी. आर. नहीं कहा जा सकता है।

कि अभियोजन मामले का पूरा आधार खो गया है, या यहाँ तक कि नीचे गिर गया। [पैरा 9 और 9.1] [571-डी-ई; जी-एच; 572-ए-सी]

यानोब शेख उर्फ गागू बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2013) 6 एससीसी 428: [2012] 13 एस. सी. आर. 115; दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2008) 11 एससीसी 425: [2008] 8 एससीआर 1026

पर भरोसा किया।

2. भौतिक आरोपों पर अभियोजन पक्ष का मामला घायल आंख-गवाह पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 की गवाही के इर्द-गिर्द घूमता है। पीडब्लू-5 ने शिकायतकर्ता के प्रारंभिक बयान के अनुरूप बयान दिया है, जिसके आधार पर विचाराधीन प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस गवाह ने विचाराधीन घटना में प्रत्येक आरोपी की भूमिका की गवाही दी है। इस गवाह को बदनाम करने के लिए प्रतिपरीक्षा में कुछ भी सामग्री सामने नहीं आई है। पी. डब्ल्यू. 5 भी घटना में घायल व्यक्तियों में से एक था।

पीडब्लू-6 की घटना भी एफ. आई. आर. में होने वाले संस्करण के साथ-साथ पीडब्लू-5 के बयान में होने वाले संस्करण के अनुरूप रही है। वह भी उसी घटना में घायल हो गया था और इस पर अविश्वास करने या बदनाम करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। गवाह। [पैरा 10.1 और 10.2] [572-ई-एफ; एच; 573-ए-सी]

3. जहाँ तक मामले के चिकित्सकीय-कानूनी पहलू का संबंध है, पीडब्लू-1, डॉक्टर जिसने घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति की जांच की थी, ने संबंधित चोट की रिपोर्ट को साबित कर दिया है। तथ्य यह स्थापित करते हैं कि मृतक और शिकायतकर्ता पक्ष के अन्य सदस्यों को कई और

धारदार हथियार (साथ ही कुंद वस्तुएँ भी)। यह भी स्थापित किया गया है कि मृतक की मृत्यु सिर में गंभीर चोट के कारण हुई थी। हालांकि घटना की तारीख से 9 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई लेकिन लगातार अस्पताल में भर्ती रहे और कभी भी कोई बयान देने की स्थिति में नहीं थे। तथ्य यह है कि विचाराधीन चोटें मंजीत सिंह बनाम द्वारा लगाई गई थीं।

शिकायतकर्ता पक्ष पर सुनियोजित और दृढ़ हमले के साथ आरोपी पक्ष को भी रिकॉर्ड पर विधिवत स्थापित किया गया है। द.

विचाराधीन घटना। यह गवाही न केवल अप्रासंगिक थी बल्कि पूरी तरह से अनुचित भी थी। निचली अदालत ने इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किया। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी और बरी किए गए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामला वापस लेने का भी प्रयास किया, लेकिन निचली अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और निचली अदालत के इस आदेश को चुनौती देने के प्रयास भी विफल रहे। इस न्यायालय तक। ऐसी स्थिति में, जहां जांच परिणाम में बताई गई राय इन व्यक्तियों के न्यायिक आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी, यह पूरी तरह से अनुचित था कि इस तरह की खारिज की गई राय पर डीडब्ल्यू-5 की गवाही के माध्यम से भरोसा किया जाना चाहिए। भले ही यह राय और इस गवाह द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया हो [Ex. डी. ए.] को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, कुछ भी उन पर नहीं जाता है। [पैरा 11.2] [574-डी-जी]

4.2 ट्रायल कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड की पूरी तरह से सराहना करने के बाद इस सुझाव को खारिज कर दिया है कि अपीलार्थी नहीं था

अपराध स्थल पर उपस्थित। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि बयान की याचिका को स्वीकार करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने सही ही खारिज कर दिया है

अभिलेख पर साक्षय के उचित मूल्यांकन के बाद ऐसी आधारहीन याचिका। [पैरा 12] [575-बी-सी] 4.3 अपीलार्थी-अभियुक्त 'एम' फर्स्ट-की बहाना याचिका में दो बुनियादी और बल्कि घातक कमियां हैं कि इस तरह की याचिका को घायल आंख सहित संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों को भी सुझाव में नहीं रखा गया था।

गवाह पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6। दूसरा, और महत्वपूर्ण रूप से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने स्वयं के बयान में, अपीलार्थी-अभियुक्त 'एम' [2019] 11 एस. सी. आर.

पहले की पुलिस रिपोर्ट में जहां उसे दोषमुक्त करने की मांग की गई थी और अभियोजन पक्ष की ओर से उसके खिलाफ मामला वापस लेने का प्रयास किया गया था, दूर से यह भी नहीं कहा गया था कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और प्रासंगिक समय पर वह कहीं और मौजूद था। [पैरा 12.1] [575-डी-एफ] 4.4 गवाह डी. डब्ल्यू.-9 और बचाव पक्ष में जांचे गए अधिकांश अन्य गवाहों का आचरण अजीब था और किसी भी विश्वास को प्रेरित करने के लिए इतना अप्राकृतिक था। बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा केवल नकारात्मक में सुझाव दिया गया कि उन्होंने किया

तीन अभियुक्त व्यक्तियों [अपीलार्थी-अभियुक्त 'एम' और 2 बरी अभियुक्त] को मौके पर न देखना अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस और भरोसेमंद साक्षय को विस्थापित नहीं करता है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इन गवाहों को पूरी तरह से अविश्वसनीय बताते हुए खारिज कर दिया है। मामले के तथ्यों में बहाना की याचिका को केवल एक अपरिष्कृत विचार के रूप में खारिज किया जा सकता है और कुछ नहीं। इस प्रकार, किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, अपीलार्थी-अभियुक्त 'एम' द्वारा प्रस्तुत बहाना की याचिका खोखली बनी हुई है और इसे केवल खारिज किया जा सकता है। [पैरा 12.3,12.4 और 12.5] [577-ई; 578-सी, डी, जी]

5. यह कहना सही नहीं है कि अपीलार्थी-अभियुक्त 'एम' के खिलाफ अपराध के हथियार की बरामदगी के अभाव में अपराध स्थापित नहीं हुआ है। आई. ओ. ने पहले स्थान पर वसूली की अन्य चार अभियुक्त व्यक्तियों के बयानों का खुलासा। संबंध में

6. अपीलार्थी-अभियुक्त 'एम' को शत्रुता के कारण झूठा फंसाया नहीं जा सकता है। इन परिस्थितियों में वर्तमान मामले में, यदि किसी तथाकथित शत्रुता को मंजीत सिंह बनाम में लिया जाना है।

विचार करने पर, वही समान रूप से अपीलार्थी अभियुक्त 'एम' और उसके साथियों के खिलाफ काम करता है, जैसा कि स्वीकार किया जाता है, अपीलार्थी अभियुक्त 'एम' गाँव की एक लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले को उत्सुकता से आगे बढ़ा रहा था और शिकायतकर्ता पक्ष में उक्त मामले में अभियुक्त से संबंधित व्यक्ति शामिल थे। शत्रुता का कारक केवल अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन देगा शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों पर हमला करने, हमला करने और उन्हें चोट पहुँचाने का सभा का उद्देश्य और उद्देश्य। [पैरा 13.1]

[579 - सी-डी] 7. वर्तमान मामले में, घायल चश्मदीद गवाहों के विश्वसनीय साक्षय को केवल इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि

स्वतंत्र गवाह से पूछताछ की गई। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर आपराधिक मामले में घायल चश्मदीद गवाह की गवाही की आवश्यकता होती है तथाकथित स्वतंत्र गवाह (एस) से पुष्टि। जब घायल चश्मदीद गवाह का बयान भरोसेमंद और विश्वसनीय पाया जाता है, तो सभी तथ्यों और आसपास के कारकों को ध्यान में रखते हुए उस आधार पर दोषसिद्धि हमेशा दर्ज की जा सकती है। [पैरा 13.2] [579-ई-एफ]

8.1 एक गैरकानूनी सभा के महत्वपूर्ण तत्व इसे बनाने वाले व्यक्तियों की संख्या है अर्थात पाँच; और उनके सामान्य वस्तु। उस सभा की रचना करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य पल भर में बनाया जा सकता है और इसके लिए पूर्व विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं होती है। द्वारा अपनाया गया आचरण

ऐसी सभा के सदस्य; घटना से पहले, उसके दौरान और बाद में उनका व्यवहार; और उनके द्वारा उठाए गए हथियार सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए कुछ बुनियादी और प्रासंगिक कारक हैं। [पैरा 14.5]

[584 - डी-ई]

8.2 अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित वर्तमान मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रासंगिक तिथि पर और प्रासंगिक समय पर, वर्तमान अपीलार्थियों सहित कम से कम पांच अभियुक्त व्यक्ति घटना स्थल अर्थात न्यायालय परिसर में उपस्थित थे। शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्य कथित तौर पर उसी अदालत परिसर में उपस्थित होने के लिए आया था

गाँव की लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई, जिसमें उनके रिश्तेदार और रिश्तेदार आरोपी व्यक्ति थे और मामले को अपीलार्थी-आरोपी 'एम' द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। यह भी स्थापित किया गया है

कि जब शिकायतकर्ता पक्ष से संबंधित व्यक्ति अपने वाहन में चढ़ने वाले थे, तो अभियुक्त व्यक्तियों ने उन पर हमला किया [2019] 11 एस. सी. आर.

हथियारों के साथ। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला अपीलार्थी-अभियुक्त 'एम' द्वारा प्रोत्साहन के साथ शुरू किया गया था। यह स्पष्ट रूप से हमले के उद्देश्य के साथ-साथ सभा के उद्देश्य को भी सामने लाता है। यह संदेह से परे है कि आरोपी

व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से कार्य किया था और इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों के बीच हताहतों की संख्या सुनिश्चित करना था। लागू सिद्धांतों पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था; घातक हथियारों के साथ न्यायालय परिसर में दंगों में लिप्त थे; और कारण बने।

शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों को गंभीर शारीरिक चोटें। मृतक पर इस गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा बार-बार हमला किया गया और उसके सिर पर गंभीर चोट लगी जो घातक साबित हुई। पृष्ठभूमि के पहलुओं के साथ-साथ घटना के दौरान और उसके दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के आचरण में भी कोई संदेह नहीं है कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य स्वयं और प्रत्येक अन्य द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी है।

सभा के सदस्य। [पैरा 14.6] [584-एफ-एच; 585-ए, सी-ई]

गोविंद सिंह बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 7 स्केल 20-विशिष्ट।

सिकंदर सिंह और अन्य। वी. बिहार राज्य (2010) 7 एस. सी. सी. 477 [2010] 8 एस. सी. आर. 373; सुबल घोराई बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2013) 4 एस. सी. सी. 607; साहाबुद्दीन और अन्य। वी. राज्य असम (2012) 13 एस. सी. सी. 212: [2012] 13 एससीआर 1067

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 8 एससीआर 373

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6.1

(2013) 4 एस. सी. सी. 607

पै

रा 6.1

संदर्भित किया गया है

(2019) 7 स्केल 20

पै

रा 6.2

प्रतिष्ठित

[2012] 13 एससीआर 1067

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2012] 13 एससीआर 115

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9.1

[2008] 8 एससीआर 1026

उस पर भरोसा करें

पैरा 9.1 मंजीत सिंह बनाम. पंजाब राज्य

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2011 का सं. 1079।

आपराधिक अपील संख्या 373 डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 11.03.2008 के निर्णय और आदेश से

2005 से।

के साथ

2011 की आपराधिक अपील सं. 1076।

कामिनी जैसवाल, जतिंदरपाल सिंह, सुश्री रानी मिश्रा, विजय

पंजवानी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, सुश्री आशिमा मंडला, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

1. विशेष अनुमति द्वारा ये दोनों अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में आपराधिक अपील संख्या में पारित किए गए सामान्य निर्णय और दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं। 373 2005 का डी. बी. और 2005 का 350 डी. बी. अन्य संबंधित मामलों के साथ, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने 2001 के सत्र मामले संख्या 21 में सत्र न्यायाधीश, बर्नाला द्वारा दिनांकित 28/आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थियों को कई मामलों के लिए दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है।

भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 148,302/149,323,324 और 326/149 के तहत दंडनीय अपराधों सहित।

2. संक्षेप में कहें तो मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू इस प्रकार हैं -

इस प्रकार है: 2.1 . अभियोजन पक्ष का मामला यह रहा है कि मृतक दलीप सिंह, राजिंदर पाल सिंह (पीडब्लू-5), वर्णम सिंह (पीडब्लू-6) और शिकायतकर्ता बेअंत सिंह-1 को गाँव महल कलां के सभी निवासी 1997 की एफ. आई. आर. संख्या 67, पुलिस स्टेशन महल कलां से संबंधित एक आपराधिक मामले की सुनवाई के संबंध में बर्नाला अदालत परिसर गए थे, जिसे स्थगित कर दिया गया था। उसी दिन अभियुक्त व्यक्ति मंजीत सिंह 2, लाभ सिंह, अवतार सिंह, बख्तौर सिंह, सुखविंदर सिंह 3,

1 शिकायतकर्ता बेअंत सिंह से मुकदमे में पहले गवाह के रूप में पूछताछ की गई लेकिन उनका बयान पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

2 क्र. का अपीलार्थी। 2011 का ए. सं. 1079 3 दंड प्रक्रिया संहिता का अपीलार्थी। 2011 का ए. सं. 1076 [2019] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रेम कुमार और नारायण दत्त भी अपीलार्थी मंजीत सिंह के एक शिकायत मामले में कार्यवाही में भाग लेने के लिए उसी अदालत परिसर में गए थे, जिसे भी स्थगित कर दिया गया था। लगभग आई. डी. 1 बजे, जब सतनाम सिंह, बेअंत सिंह, राजिंदर पाल सिंह और दलीप सिंह जहाज पर चढ़ने वाले थे। अदालत परिसर में टाइपिस्टों के केबिन के पास उनकी कार पर आरोपी व्यक्तियों ने हमला किया।

सिंह ने अपने किरच के प्रहार किए, राजिंदर पाल सिंह को दाहिने हाथ और बाएं हाथ के अंगूठे पर मारा; और अपीलकर्ता सुखविंदर सिंह ने अपने कृपाण के हैंडल से सतनाम सिंह की पीठ पर मारा। 2.3 . यह भी आरोप लगाया गया कि इस तरह के हमले पर, घायलों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद अमरजीत सिंह, बलबीर सिंह, जीत सिंह और

गुरदीप सिंह मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से संदेश मिलने पर, सुरिंदर पाल सिंह (पीडब्लू)

9) , एस. एच. ओ., पी. एस. कोटवाली अस्पताल गए और घायलों के बयान लेने के लिए उनकी फिटनेस के बारे में डॉक्टर की राय मांगी। घायलों को

बेअंत सिंह को स्वस्थ घोषित कर दिया गया और उनका बयान दोपहर 2:30 बजे दर्ज किया गया, जिसके कारण अपराधों के लिए 2001 की प्राथमिकी संख्या 56 दर्ज की गई। आई. पी. सी. की धारा 307,148,149,120-बी के तहत दंडनीय। घायल राजिंदर पाल सिंह और वर्णम सिंह के बयान भी दर्ज किए गए। हालाँकि, घायल दलीप सिंह को कोई बयान देने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया; उन्हें राजिंदरा अस्पताल, पटियाला भेजा गया; और वे थे, मंजीत सिंह बनाम।

इसके बाद, उन्हें दयानंद कॉलेज और अस्पताल, लुधियाना में स्थानांतरित कर दिया गया। वह आईडी1 तक अस्पताल में भर्ती रहे लेकिन एएसआई गुलाब सिंह (पीडब्लू-11) द्वारा अपना बयान दर्ज करने के प्रयास सफल नहीं हुए। घायल दलीप सिंह की अंततः आई. डी. 1 पर शाम 4:30 बजे मृत्यु हो गई। ; उनके शव का पोस्टमार्टम लुधियाना के सिविल अस्पताल में 13.03.2001 पर किया गया था। अगली कड़ी में, धारा 303 के तहत दंडनीय अपराध को एफ. आई. आर. में जोड़ा गया।

2.4 . आई. डी. 1 पर आरोपी व्यक्तियों बख्तौर सिंह, लाभ सिंह और अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार का घोप बरामद किया गया

बख्तौर सिंह के प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में, जबकि लाभ सिंह के खुलासा बयान पर एक किरपान बरामद किया गया और अवतार सिंह के खुलासा बयान पर एक अन्य किरपान बरामद किया गया। 14.03.2001 पर, अपीलार्थी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में, एक और कृपाण था

ठीक हो गया। 2.5 . जाँच के दौरान, घटना स्थल से खून से लथपथ मिट्टी एकत्र की गई; स्थल योजना तैयार की गई;

और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, घटना स्थल से बरामद घोप, तीन कृपाण और मिट्टी मानव रक्त से सना हुआ पाया गया।

2.6 . आई. डी. 1 पर, जबकि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों पर विभिन्न अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन वर्तमान अपीलार्थी मंजीत सिंह के रूप में

प्रेम कुमार और नारायण दत्त को भी कथित तौर पर अपराध में शामिल नहीं पाया गया और उन्हें जांच अधिकारी (आई. ओ.) द्वारा कॉलम संख्या 2 में रखा गया। सत्र न्यायालय को मामला सौंपने और आरोप तय करने के बाद, शिकायतकर्ता बेअंत सिंह से अभियोजन पक्ष के पहले गवाह के रूप में जाँच की गई, लेकिन उनका बयान अधूरा रहा। इसी दिन, शिकायतकर्ता बेअंत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता ('सीआरपीसी') की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता मंजीत सिंह के साथ-साथ उक्त प्रेम कुमार और नारायण दत्त के खिलाफ भी कार्यवाही करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिन्हें निचली अदालत ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा तलब किया था। इसके बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302,148,326,325,323 के तहत आरोप तय किए गए। अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता मंजीत सिंह और उक्त प्रेम कुमार और नारायण दत्त के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत अनुमति मांगी, लेकिन इस प्रार्थना को खारिज कर दिया गया।

विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा, जिसके विरुद्ध 2002 की दंड प्रक्रिया संहिता संख्या 2413 और 2002 की सी. एम. संख्या 2248 उच्च [2019] 11 एस. सी. आर. के समक्ष दायर की गई थी।

न्यायालय जिन्हें दिनांकित 14.10.2003 आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, 2003 की अपील संख्या 5740 के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर की गई है।

अदालत को दिनांकित 17.01.2004 आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था।

3. मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों से पूछताछ की,

घायल नेत्र-गवाह राजिंदर पाल सिंह को पीडब्लू-5 और वर्णम सिंह को पीडब्लू-6 के रूप में; चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुभाष सिंगला, जिन्होंने शुरू में घायल व्यक्तियों की जांच की थी और पीडब्लू-1 के रूप में चोट की रिपोर्ट तैयार की थी; और डॉ. जसबीर सिंह, जिन्होंने दलीप सिंह के शव का पोस्टमॉर्टम किया था, को पीडब्लू-7 के रूप में।

3.1 . चश्मदीद गवाहों, राजिंदर पाल सिंह और वर्णम सिंह, क्रमशः पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 ने पूरे मामले का नेत्रहीन विवरण दिया।

घटना। पीडब्लू-5 राजिंदर पाल सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमला तब शुरू हुआ जब अपीलार्थी मंजीत सिंह ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को शिकायतकर्ता और उसके साथियों पर हमला करने के लिए उकसाया। इस गवाह ने एफ. आई. आर. में होने वाले संस्करण के अनुरूप प्रत्येक आरोपी की भागीदारी और भागीदारी का विस्तृत विवरण प्रदान किया। उनकी गवाही की पुष्टि सभी सामग्री विवरणों पर पीडब्लू-6 वर्णम सिंह द्वारा की गई थी। जैसा कि देखा गया है, सूचना देने वाले बेअंत सिंह की गवाही उनके निधन के कारण अधूरी रही।

3.2 . अपीलार्थी मंजीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में आरोपों से इनकार करते हुए कथित तौर पर विस्तृत जानकारी दी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता प्रेम कुमार, नारायण दत्त और खुद से इस कारण नाराज थे कि उन्होंने गाँव की एक लड़की के. के. * * के बलात्कार और हत्या के मामले में सबूत दिए थे, जहाँ अपराध कथित रूप से शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों और घायल गवाहों द्वारा किया गया था। हम अपीलार्थी मंजीत सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए बयान के प्रासंगिक हिस्से का उल्लेख कुछ समय बाद करेंगे।

3.3 . बचाव पक्ष के साक्षय में, अभियुक्त व्यक्तियों से 13 गवाहों से पूछताछ की गई। ये इस प्रकार थे: डी. डब्ल्यू.-1 डॉ. ए. के.

अदालती समन और जेल रिकॉर्ड पर राजिंदर पाल सिंह के हस्ताक्षर के संबंध में लिखावट और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ सिंगला; डी. डब्ल्यू.-2, हेड कांस्टेबल जसविंदर सिंह इस तथ्य के संबंध में कि डी. डब्ल्यू.-3 को उस वाहन के चालक के रूप में तैनात किया गया था जिसमें विचाराधीन कैदियों को अदालत परिसर में लाया गया था; डी. डब्ल्यू.-3 हेड कांस्टेबल जोरा सिंह, जैसा कि आरोप है

4 उक्त पीड़ित लड़की के नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है और उसे यहाँ केके * के रूप में संदर्भित किया गया है।

घटना के चश्मदीद गवाह; डी. डब्ल्यू.-4 गुरचरण सिंह धलीवाल, अधिवक्ता जो कथित रूप से अपराध स्थल के पास मौजूद थे; डी. डब्ल्यू.-5 लखविंदर सिंह, बर्नाला में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (डी); डी. डब्ल्यू.-6 कांस्टेबल अमरजीत सिंह, एक अन्य कथित चश्मदीद गवाह जिसने दोनों समूहों के बीच हुई लड़ाई में हस्तक्षेप किया था; डी. डब्ल्यू.-7 हेड कांस्टेबल गुरचरण सिंह; डी. डब्ल्यू.-8 जे. एन. शर्मा, अधिवक्ता; डी. डब्ल्यू.-9 कुलवंत सिंह, ग्राम धानेर के सदस्य पंचायत; डी. डब्ल्यू.-10 मंजीत सिंह, सरकारी शिक्षक। हाई स्कूल, वज़ीदके खुर्द; डी. डब्ल्यू.-11 राजिंदर कुमार ए. एल. एम., पी. एस. ई. बी. मेहर कलां; डी. डब्ल्यू.-12 दर्शन कुमार, हेड वार्डन, सब-जेल, बर्नाला; और डी. डब्ल्यू.-13 संतोख सिंह, सरकारी गणित शिक्षक। हाई स्कूल, वज़ीदके खुर्द।

4. 2001 के सत्र मामला सं. 21 में अपने 28/आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय और आदेश में, विचारण न्यायालय ने मामले का गहन विश्लेषण किया।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत और यह पता लगाने के बाद कि बचाव पक्ष के गवाह या तो अप्रासंगिक या अविश्वसनीय थे, बचाव पक्ष के सिद्धांतों को खारिज कर दिया और पाया कि यह उचित संदेह से परे साबित हुआ कि अभियुक्त ने एक साथ मिलकर शिकायतकर्ता बेअंत सिंह और उसके साथियों पर हमला किया, जिससे कई लोगों को चोटें आईं और दलीप सिंह को घातक चोटें आईं। वर्तमान अपीलार्थियों के संबंध में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष और सभी अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में, जैसा कि दिनांकित 28.03.2005 के निर्णय के पैराग्राफ 45 से 48 में होता है, उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

" 45. पीडब्लूआई के अनुसार आरोपी मंजीत सिंह ने किर्च और एम. एल. आर. एक्स के माध्यम से राजिंदर पाल सिंह के व्यक्ति को दो चोटें पहुंचाई हैं। पीडी और एक्स-रे रिपोर्ट एक्स। पी. डी./2 से पता चलता है कि ये दोनों चोटें संख्या 1 और 2 तेज साधनों से हैं और चोट संख्या 3 जो लाल रंग की चोट है

किसी भी आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।

46. ऐसा माना जाता है कि आरोपी सुखविंदर सिंह ने कृपाण के हैंडल से उस व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया था। सीने के पिछले हिस्से में वर्णम सिंह ने कहा कि सुखविंदर सिंह ने भी कृपाण के माध्यम से दलीप सिंह के दाहिने हाथ में चोट पहुंचाई थी और जो एम. एल. आर. एक्स के अनुसार चोट लगी थी। पी. ए. जिसे छेदा गया है [2019] 11 एस. सी. आर.

इस संबंध में साक्षय की कमी को देखते हुए। 47. कि यह दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत हैं कि आरोपी

घातक हथियारों से लैस एक आम वस्तु वाले व्यक्ति

शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला करते हुए दंगे किए हैं। 48. इसलिए, अभियोजन पक्ष के समग्र साक्षय से

नेत्र-गवाहों के नेत्र साक्षय का विवरण, चिकित्सा परिस्थितिजन्य साक्षय के साथ साक्षय अत्यधिक मात्रा में

आयोग में अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करें

जिस अपराध के लिए उन पर आरोप लगाया गया है। अभियुक्त ने

इस प्रकार उन्हें दोषी ठहराया जाता है और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दोषी ठहराया जाता है:

(i) सभी अभियुक्त

आई. पी. सी. की यू/एस 148

(ii) अभियुक्त बख्तौर सिंह

आई. पी. सी. यू/एस. 302 और 323

iii) के सभी सह-अभियुक्त (संख्या 6)

यू/एस 302/149 आई. पी. सी. और

आरोपी बख्तौर सिंह

यू/एस 323/149 आई. पी. सी.

(iv) अभियुक्त सुखविंदर सिंह

यू/एस 324 आई. पी. सी. और 323

आईपीसी

v) अभियुक्तों के सभी छह सह-अभियुक्त

यू/एस 324/149 आई. पी. सी. और

सुखविंदर सिंह

यू/एस 323/149 आई. पी. सी.

vi) अभियुक्त लाभा सिंह

यू/एस 324 आई. पी. सी.

vii) सभी छह सह-अभियुक्त

यू/एस 324/149 आई. पी. सी.

viii) अभियुक्त अवतार सिंह

यू/एस 326 आई. पी. सी.

ix) अभियुक्त यू/एस 326/149 आई. पी. सी. के सभी छह सह-अभियुक्त

अवतार सिंह

x) अभियुक्त मंजीत सिंह

यू/एस 324 आई. पी. सी.

xi) अभियुक्त यू/एस 324/149 आई. पी. सी. के सभी छह सह-अभियुक्त

मंजीत सिंह "

4.1 . उपरोक्त निष्कर्ष के अनुसार, अभियुक्त

उन लोगों को अलग-अलग सजाएं दी गईं, जिनमें जीवन की सजा भी शामिल थीसोनमेंट।

5. दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी और सह

एड ने उच्च न्यायालय के समक्ष और लंबित मंजीत सिंह बनाम के समक्ष अलग-अलग अपीलों को प्राथमिकता दी।

पंजाब राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अपीलों का निपटारा करते हुए, अपीलार्थी मंजीत सिंह के साथ-साथ प्रेम कुमार और नारायण दत्त को दी गई सजा को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पंजाब के तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांकित एक आदेश,

अपीलार्थी मंजीत सिंह के साथ-साथ दो सह-अभियुक्त व्यक्तियों प्रेम कुमार और नारायण दत्त को भी क्षमा प्रदान की और निर्देश दिया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। माफी देने के इस आदेश को भी चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 की सं. 2147 वाली रिट याचिका के माध्यम से जिसे दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपीलों के साथ विचार के लिए लिया गया था। अंतिम सामान्य निर्णय और दिनांक 1 का आदेश पारित करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं और सह-अभियुक्त की ओर से आग्रह की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, प्रेम कुमार और नारायण दत्त को संदेह का लाभ दिया, लेकिन इसमें अपीलकर्ताओं सहित अन्य पांच अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि की पुष्टि की और माफी देने वाले आदेश को भी रद्द कर दिया।

" 23. हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष का मामला सुखविंदर सिंह, लाभ सिंह, बख्तौर सिंह, अवतार सिंह और मंजीत सिंह के खिलाफ पूरी तरह से स्थापित है, जबकि नारायण दत्त और प्रेम कुमार संदेह के लाभ के हकदार हैं।

24. पीडब्लू 5 राजिंदर पाल सिंह ने बेअंत सिंह के बयान में दिए गए बयान का पूरा समर्थन किया है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने सभी अभियुक्तों की भूमिका की पुष्टि की है। घटना दिन की चौड़ी रोशनी में हुई। गवाहों को आरोपी की पहचान के बारे में पता था। राजिंदर पाल सिंह मृतक दलीप सिंह के भतीजे हैं। एफ़. आई. आर. जल्दी थी। अभियुक्त द्वारा मृतक और गवाहों पर कथित तरीके से हमला करने में कोई असंभवता नहीं है। पीडब्लू5 राजिंदर पाल सिंह के साक्षय में कोई गंभीर दुर्बलता नहीं है। उनका संस्करण सुसंगत और विश्वसनीय है। हमले की स्पष्ट रूप से फिर से मध्यस्थता की गई क्योंकि पांच आरोपी हथियारों के साथ आए थे। बिनि।

5 पंजाब के माननीय राज्यपाल द्वारा अपीलार्थी मंजीत सिंह को क्षमा प्रदान करने के आदेश को दरकिनार करते हुए दिनांक 1 के सामान्य निर्णय के इस भाग को इस न्यायालय में सी. ए. सं. में अलग से चुनौती दी गई थी। 2058-59 2011 का [2008 के एस. एल. पी. (सी) सं. 1154 से उद्भूत]। आई. डी. 1 पर, इस अदालत ने मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेज दिया। हमें सूचित किया गया था।

सुनवाई के दौरान कि इस तरह की रिमांड के बाद कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान अपीलों की विषय वस्तु अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा से संबंधित है, क्षमा प्रदान करने से संबंधित मामले पर आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संस्करण पूरी तरह से पीडब्लू6 वर्णम सिंह द्वारा समर्थित है। हालाँकि, विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई, लेकिन उनकी गवाही अडिग रही।

उक्त गवाहों के बयान की विधिवत पुष्टि की गई है

चिकित्सा प्रमाण। हम सहमत नहीं हैं

विचारण न्यायालयक टिप्पणी जे बेअंत सिंहक साक्षय पर भरोसा कयल जा सकैत अछि। बेअंत सिंह के साक्षय को छोड़कर, जो प्रतिपरीक्षा से पहले मर गया, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है

अभियोजन पक्ष का मामला। 25. पीडब्लू 5 राजिंदर पाल सिंह के बयान का संदर्भ

दिखाता है कि मंजीत सिंह ने सह को एक उपदेश दिया

बदला लेने का आरोप। वह 'किर्च' से लैस था। केवल 'किर्च' की गैर-वसूली अपने आप में कोई परिणाम नहीं है एक बार जब वह उपदेश देने और कारण बनाने में भाग लेता है।

हमला किया जाता है। उसकी भूमिका चिकित्सा द्वारा स्थापित की जाती है

एक तेज धार वाले हथियार से उन्हें दो चोटें आई थीं। मंजीत सिंह उन्होंने न केवल एक झटका दिया बल्कि राजिंदर पाल सिंह को भी दोहरा झटका दिया। पीडब्लू-5 राजिंदर पाल सिंह मंजीत सिंह को फंसाने में कोई गलती नहीं कर सकते थे। इस बात पर जोर दें कि

मंजीत सिंह को दुश्मनी के कारण फंसाया गया था, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि शत्रुता एक दोधारी हथियार है और यही कारण मंजीत सिंह को उद्देश्य प्रदान कर सकता था। उनकी भूमिका विशिष्ट है और इसकी विधिवत पुष्टि की गई है।

वह हमला शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था।

5.1 . उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर अन्य सामग्री के रूप में बचाव पक्ष के साक्षय की जांच करने के बाद, अपीलार्थी मंजीत सिंह के बयान सहित बचाव पक्ष की दलीलों को निम्नलिखित में खारिज कर दिया:

" 32. हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि मृत्यु

दलीप सिंह की चोटों के कारण नहीं थी

बख्तौर सिंह लेकिन केवल शल्य चिकित्सा चोटों के कारण या यह कि चोटें प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में दलीप सिंह की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। यह स्पष्ट है कि दलीप सिंह की मृत्यु

आरोपी बख्तौर सिंह द्वारा की गई चोटों के कारण हुई थी। मृत्यु के इरादे का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। सुखविंदर सिंह ने दलीप सिंह पर भी हमला किया लेकिन उन्हें सिर के बजाय हाथ में चोटें आईं। हालाँकि, लाभ सिंह और अवतार सिंह ने मंजीत सिंह बनाम को चोट पहुँचाई।

क्रमशः बेअंत सिंह और वर्णम सिंह के लिए, वे परिणामों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, जो वे दलीप सिंह को हुई चोटों के संबंध में आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। अभियुक्त मंजीत सिंह के संबंध में भी यही स्थिति है। मंजीत सिंह द्वारा उठाए गए बहाना की याचिका को स्वीकार करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। इसलिए हमें सुखविंदर सिंह, लाभ सिंह, अवतार की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में कोई संकोच नहीं है।

सिंह, बख्तौर सिंह और मंजीत सिंह "।

5.2 . दोषसिद्धि और अपीलार्थियों सहित पाँच अभियुक्त व्यक्तियों की सजा को बरकरार रखने के बाद, उच्च न्यायालय ने भी जांच की

अपीलार्थी मंजीत सिंह को क्षमा प्रदान करने वाले आदेश की वैधता का प्रश्न और उस संबंध में, क्षमा/क्षमा प्रदान करने की शक्ति और इसकी न्यायिक समीक्षा से संबंधित मामले कानून के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद, यह पाया गया कि वर्तमान मामले में, शक्ति का प्रयोग केवल कथित जनमत पर किया गया था जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। हालाँकि, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, मामले के इस पहलू को यहाँ और विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्त निर्णय और आदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए और दी गई सजा को बरकरार रखते हुए, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

6.1 . अपीलार्थी मंजीत सिंह के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि जहाँ तक इस अपीलार्थी का संबंध है, यह काफी हद तक स्थापित है

सबूत है कि वह विचाराधीन घटना के स्थल पर मौजूद नहीं था; और विशेष रूप से डी. डब्ल्यू.-9 के बयान का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है कि घटना की तारीख को, अपीलार्थी मंजीत सिंह उक्त गवाह के सामने सुबह धनेर गांव में मौजूद था, जो कि बर्नाला अदालत परिसर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था और इसलिए, उक्त गवाह के सामने उसकी उपस्थिति थी।

सुबह 11.15 बजे अपराध को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी ठोस कारण बताए बिना बहाना की याचिका को खारिज कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप गंभीर स्थिति पैदा हुई है। न्याय की विफलता। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रहा है कि मृतक के परिवार और अपीलार्थी के बीच पूर्व शत्रुता थी, जिसके कारण उसे उक्त मामले में फंसाया गया है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने विशेष रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया है कि पीडब्लू-5 राजिंदर सिंह जगराज का भाई है, जो उपरोक्त बलात्कार और हत्या के मामले में शामिल था, जिसे अपीलार्थी मंजीत सिंह ने गंभीरता से आगे बढ़ाया था।

वकील ने अभी तक यह तर्क दिया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के सामान्य उद्देश्य के संबंध में कोई सबूत नहीं है; किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है; और फिर, अपीलार्थी के कहने पर अपराध का कोई हथियार बरामद नहीं किया गया था। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित नहीं है। विद्वान वकील ने

सिकंदर सिंह और अन्य में निर्णयों का उल्लेख किया गया। वी. बिहार राज्यः (2010) 7 एस. सी. सी. 477 और सुबल घोराई बनाम। पश्चिम बंगाल राज्यः (2013) 4 एससीसी 607। 6.2 . अपीलार्थी सुखविंदर सिंह के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चिकित्सा साक्षय में भौतिक विरोधाभास हैं और साथ ही

अपीलार्थी और विवादित निर्णय किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं होते हैं ताकि हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता मंजीत सिंह ने न केवल राजिंदर पाल सिंह के व्यक्ति को चोट पहुंचाई, बल्कि वास्तव में, हमले से पहले आरोपी पक्ष को उकसाया और रिकॉर्ड पर स्पष्ट सबूतों के बावजूद, अपीलकर्ता मंजीत सिंह द्वारा उपयोग किए गए किरच की बरामदगी की इच्छा उसे दोषमुक्त नहीं करेगी। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि जब आरोपी व्यक्ति, उनमें से कम से कम पांच, घातक हथियारों से लैस थे और घायल व्यक्तियों पर एक साथ हमला करते थे, तो आम उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा के गठन के सभी आवश्यक तत्व खड़े होते हैं। स्थापित किया गया। जहाँ तक बहाना की याचिका का संबंध है, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस याचिका को कभी भी अभियोजन पक्ष के गवाहों को नहीं सुझाया गया था और न ही रंजीत सिंह बनाम।

धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत बयान में लिया गया; और

उस संबंध में पेश किए गए गवाहों पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से विचार करने के बाद विधिवत विचार किया गया है और उन्हें खारिज कर दिया गया है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने कुछ निर्णयों पर भी भरोसा किया है, जिसमें साहाबुद्दीन और अन्य शामिल हैं। वी. असम राज्यः (2012) 13 एस. सी. सी. 212. 8. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि ये दोनों

अपीलें सारहीन रहती हैं और अपीलार्थियों के कहने पर हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

दो अभियुक्तों को बरी किया गया

9. विचार के लिए मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करने से पहले, प्रासंगिक कारकों में से एक पर ध्यान देना उचित होगा - हालाँकि इस मामले में, आरोपी प्रेम कुमार और नारायण दत्त पर आरोप लगाया गया था कि वे खाली हाथ थे और उन्हें किसी भी व्यक्ति को कोई चोट पहुँचाने की भूमिका नहीं सौंपी गई थी, लेकिन निचली अदालत ने इसे एक मामला पाया

समान उद्देश्य और इन दो अभियुक्त व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत अपराध के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से अन्य अपराधों का भी दोषी ठहराया गया था। यद्यपि उच्च न्यायालय ने सभी भौतिक पहलुओं पर अभिलेख पर सामग्री की गहन जांच के बाद विचारण न्यायालय से सहमति व्यक्त की, लेकिन इन दो अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में, अपनी चर्चा के समापन भाग में, उन्हें संदेह का लाभ देने के लिए आगे बढ़ते हुए निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 38. जहाँ तक प्रेम कुमार और नारायण दत्त का संबंध है, जो खाली थे।

उन्हें मृतक को पकड़ने की भूमिका दी गई है। यदि यह माना जा सकता है कि वे गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, भले ही उनके खिलाफ कोई स्पष्ट कार्य साबित न हो, वे हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे। तथापि, हमारा विचार है कि ठोस साक्षय के अभाव में, उन्हें

संदेह का लाभ दिया जाए।

चुनौती नहीं दी गई लेकिन फिर, इस तथ्य का, अपने आप में, अन्य पांच अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन मामले पर कोई कम करने वाला प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपीलार्थियों सहित। [2019] 11 एस. सी. आर. के अनुसार सह-अभियुक्त को बरी करना सामान्य बात है।

से अन्य अभियुक्तों को बरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भले ही सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भौतिक साक्षय समान हो, उनमें से कुछ को बरी करने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अन्य अभियुक्तों को भी बरी करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल राज्यः (2013) 6 एस. सी. सी. 428 और दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्यः

(2008) 11 एससीसी 425]। यदि साक्षय को समग्र रूप से लेने के बाद, बरी किए गए अभियुक्त के संबंध में मामले को दूसरे के खिलाफ मामले से अलग किया जा सकता है, तो ऐसे अन्य अभियुक्तों को फिर भी दोषी ठहराया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि जहां तक उक्त अभियुक्त प्रेम कुमार और नारायण दत्त का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी नहीं किया है, बल्कि उन्हें केवल संदेह का लाभ दिया है, क्योंकि उन्हें हमले का कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं सौंपा गया है और वे किसी भी हथियार से लैस नहीं हैं। भले ही प्रेम कुमार और नारायण दत्त की संलिप्तता को उन्हें सौंपी गई अनिश्चित भूमिका को देखते हुए संदिग्ध माना जाता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा आधार खो गया है, या यहां तक कि खत्म कर दिया गया है।

अभियोजन का मामला

10. अब हम प्रासंगिक विशेषताओं पर ध्यान दे सकते हैं

अभिलेख पर साक्षय।

10.1 . भौतिक आरोपों पर अभियोजन पक्ष का मामला घायल आंख-गवाह पी. डब्ल्यू.-5 राजिंदर पाल सिंह और पी. डब्ल्यू.-6 वर्णम सिंह की गवाही के इर्द-गिर्द घूमता है। पीडब्लू-5 राजिंदर पाल सिंह ने बेअंत सिंह के प्रारंभिक संस्करण के अनुरूप बयान दिया है, जिसके आधार पर विचाराधीन प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस गवाह ने गवाही दी है कि विचाराधीन घटना में प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका। इस गवाह को बदनाम करने के लिए प्रतिपरीक्षा में कुछ भी सामग्री सामने नहीं आई है। बेशक, जिरह में एक सुझाव दिया गया था कि वह 30.09.2002 पर उप-जेल बर्नाला गया था और रुपये की मांग की थी। 20,000 / - अभियुक्त व्यक्तियों से उनके पक्ष में गवाही देने के लिए, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कुछ.

गवाहों से बचाव पक्ष के साक्षय में यह साबित करने के लिए पूछताछ की गई कि यह गवाह

पीडब्लू-5 ने उप-जेल बर्नाला का दौरा किया। हालाँकि, यह स्वीकार करना बहुत दूर है कि इस तरह की यात्रा के कारण, गवाह ने गैरकानूनी विचार करके गलत बयान दिए होंगे। वास्तव में, अपीलकर्ताओं द्वारा इसी गवाह को कथित बलात्कार और हत्या मामले में अभियुक्त व्यक्तियों में से एक का भाई होने के लिए एक इच्छुक गवाह के रूप में बदनाम करने की कोशिश की गई है, जिसका अपीलकर्ता मंजीत सिंह द्वारा पीछा किया जा रहा था। यह गवाह भी घटना में घायल व्यक्तियों में से एक था, मानजीत सिंह बनाम।

अपीलार्थी मंजीत सिंह से प्रहार प्राप्त करना। ऐसी तथ्य स्थिति के सामने, बचाव पक्ष द्वारा यह सुझाव कि इस गवाह ने उन्हें गैरकानूनी विचार के लिए समर्थन की पेशकश की, केवल आधारहीन के रूप में खारिज किया जा सकता है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से उनकी गवाही को विश्वसनीय पाया है और हमें मामले पर कोई अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं मिलता है।

10.2 . पीडब्लू-6 वर्णम सिंह द्वारा घटना का वर्णन भी एफ. आई. आर. में होने वाले संस्करण के साथ सुसंगत रहा है और साथ ही यह भी कि

10.3 . जहां तक मामले के चिकित्सकीय-कानूनी पहलू का संबंध है, पीडब्लू-1 डॉ. सुभाष सिंगला, जिन्होंने घायल व्यक्ति की जांच की थी। घटना के तुरंत बाद, संबंधित चोट रिपोर्ट को साबित कर दिया है,

अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताते हुए कि मृतक दलीप सिंह के व्यक्ति पर कई चोटें आई थीं, जिसमें तीन धारदार हथियार से और एक धारदार हथियार से लगी थी। उन्होंने यह भी गवाही दी कि सतनाम सिंह को अन्य चोटों के अलावा एक तेज धार वाले हथियार से चोट लगी थी और राजिंदर पाल सिंह को तीन चोटें आई थीं, जिनमें से दो तेज धार वाले हथियार से थीं। पीडब्लू-7 डॉ. जसबिर सिंह ने दलीप सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया और खोपड़ी के नीचे हीमोटोमा पाया; और हीमोटोमा को साफ करने पर, एक फ्रैक्चर पाया गया। इस गवाह ने गवाही दी कि उसकी जाँच के अनुसार, मौत का कारण सिर की चोट के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमा था।

10.4 . तथ्य यह स्थापित करते हैं कि मृतक और शिकायतकर्ता पक्ष के अन्य सदस्यों को कई और कई चोटें आईं। धारदार हथियारों से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर उन लोगों को शामिल करना (जैसे

कुंद वस्तुएँ भी)। यह भी स्थापित किया गया है कि दिलीप सिंह की मृत्यु सिर में गंभीर चोट के कारण हुई थी। हालाँकि घटना की तारीख से 9 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन लगातार अस्पताल में भर्ती रहे और कभी भी कोई बयान देने की स्थिति में नहीं थे। यह तथ्य कि शिकायतकर्ता पक्ष पर सुनियोजित और दृढ़ हमले के साथ आरोपी पक्ष द्वारा चोटें लगाई गई थीं, भी रिकॉर्ड पर विधिवत स्थापित किया गया है। द.

अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष उचित रहते हैं और किसी भी दुर्बलता से पीड़ित प्रतीत नहीं होते हैं।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रक्षा संस्करण और साक्षय

11. बचाव साक्षय से निकलने वाली विशेषताओं पर ध्यान देना भी उचित होगा। बचाव में सभी 13 गवाहों से पूछताछ की गई। अपीलार्थी मंजीत सिंह की बहाना याचिका के संबंध में प्रासंगिक गवाहों को लेने से पहले, हम बचाव पक्ष के अन्य गवाहों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख कर सकते हैं। 11.1 . बचाव में, डी. डब्ल्यू.-1 डॉ. अतुल के. सिंह और डी. डब्ल्यू.-12 दर्शन कुमार से इस दावे के समर्थन में पूछताछ की गई कि गवाह

राजेंद्र सिंह ने मुलाकत रजिस्टर में होने वाली प्रविष्टियों के अनुसार उप-जेल बर्नाला का दौरा किया; और डी. डब्ल्यू.-7 गुरचरण सिंह से गवाह राजेंद्र पाल सिंह के हस्ताक्षर के प्रमाण के रूप में ई. एक्स.-डी.-11 समन पर पूछताछ की गई। जैसा कि देखा गया है, बचाव साक्षय के इस हिस्से पर कुछ भी नहीं होता है।

11.2 . बचाव पक्ष का एक और गवाह डी. डब्ल्यू. था-5 लखविंदर

सिंह, जो संबंधित समय में पुलिस अधीक्षक (डी) बर्नाला के रूप में तैनात थे। इस गवाह के अनुसार, उसके समक्ष इस आशय की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि घटना के दौरान मंजीत सिंह, प्रेम कुमार और नारायण दत्त मौके पर मौजूद नहीं थे। इस गवाह ने भेजा

एक रिपोर्ट, एक्स। डी. ए. ने इस तथ्य को बताते हुए कहा कि सुरेंद्र पाल सिंह द्वारा की गई जांच में एस. एच. ओ. पुलिस स्टेशन, एस. एच. ओ., मंजीत सिंह, प्रेम कुमार और नारायण दत्त घटना के समय मौजूद नहीं पाए गए। यह गवाही न केवल अप्रासंगिक थी बल्कि पूरी तरह से अनुचित भी थी। जैसा कि देखा गया है, शुरू में, जांच एजेंसी ने प्रयास किया

अपीलार्थी मंजीत सिंह के साथ-साथ कथित अभियुक्त प्रेम को भी दोषमुक्त करें।

कुमार और नारायण दत्त लेकिन निचली अदालत ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग किया। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी मंजीत सिंह और उक्त प्रेम कुमार और नारायण दत्त के खिलाफ मामला वापस लेने का भी प्रयास किया, लेकिन निचली अदालत ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और निचली अदालत के इस आदेश को चुनौती देने के प्रयास भी इस अदालत तक विफल रहे। ऐसी स्थिति में, जहां जांच परिणाम में बताई गई राय इन व्यक्तियों के न्यायिक आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी, यह पूरी तरह से अनुचित था कि इस तरह की खारिज की गई राय पर डीडब्ल्यू-5 की गवाही के माध्यम से भरोसा किया जाना चाहिए। भले ही यह राय और इस गवाह द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया हो [Ex. डी. ए.] को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, कुछ भी उन पर नहीं जाता है।

11.3 . अभियुक्त प्रेम कुमार और नारायण दत्त की बहाना याचिका के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा जांचे गए तीन अन्य गवाहों [डी. डब्ल्यू.-10, डी. डब्ल्यू.-11 और डी. डब्ल्यू.-13] की गवाही वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। उद्देश्य।

अपीलार्थी मंजीत सिंह की बहाना याचिका

12. अपीलार्थी मंजीत सिंह की ओर से दलीलों का मुख्य मुद्दा यह है कि वह अपराध स्थल पर यानी बर्नाला अदालत परिसर के भीतर 03.03.2001 पर 11.15 पूर्वाह्न पर मौजूद नहीं था। ; और वास्तव में, वह संबंधित तिथि को सुबह 11.30 पर गांव धानेर में गवाह डी. डब्ल्यू.-9 के साथ था। ट्रायल कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड की गहन समीक्षा के बाद इस सुझाव को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बहाना की याचिका को स्वीकार करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। अभिलेख की जांच करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उचित सराहना के बाद इस तरह की आधारहीन याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है

अभिलेख पर साक्षय।

12.1 अपीलार्थी मंजीत सिंह की बहाना याचिका में दो बुनियादी और घातक कमियाँ हैं: पहला, कि इस तरह की याचिका को घायल नेत्र गवाह पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 सहित संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों को भी सुझाव में नहीं रखा गया था। दूसरा, और महत्वपूर्ण रूप से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने स्वयं के बयान में, अपीलकर्ता मंजीत सिंह ने विस्तृत दावा करते हुए कहा कि उन्हें दर्शन सिंह की बेटी के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ खड़े होने के लिए गलत तरीके से फंसाया गया था; और पिछली पुलिस रिपोर्ट पर भी भरोसा करते हुए जहां उन्हें दोषमुक्त करने की मांग की गई थी और अभियोजन पक्ष की ओर से उन्हें दोषमुक्त करने का प्रयास किया गया था। उसके खिलाफ मामला वापस ले लिया, यहाँ तक कि दूर से भी नहीं कहा कि वह साइट पर मौजूद नहीं था और प्रासंगिक समय पर, वह कहीं और मौजूद था। अपीलार्थी मंजीत सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए बयान का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है: -

" प्र. 19. कुछ और कहने की ज़रूरत है?

उत्तर। मैं निर्दोष हूँ। इस संबंध में एस. एच. ओ./पी. एस. कोटवाली, बर्नाला और पुलिस के अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की गई और वे सभी इस बात पर सहमत हुए कि वर्तमान मामला मेरे खिलाफ गलत तरीके से दर्ज किया गया है और मुझे कॉलम संख्या 2 में रखा गया है। दि एडिशनल। राज्य के लिए पी. पी. ने एक आवेदन [2019] 11 एस. सी. आर. दायर किया था।

यू/एस 321 Cr.P.C. मेरे खिलाफ मामला वापस लेने के लिए क्योंकि उक्त मामला मेरे खिलाफ गलत तरीके से दर्ज किया गया है लेकिन श्री. एस. एस. गुप्ता, विद्वान अतिरिक्त अधिकारी। सत्र न्यायाधीश, बर्नाला ने इसे खारिज कर दिया और उक्त आदेश के खिलाफ राज्य ने माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है जो अभी भी वहां लंबित है और कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

शिकायतकर्ता पक्ष महल कलां शहर का सबसे बड़ा मकान मालिक पक्ष है, जहाँ एक पुलिस थाना भी है। उन्होंने के. के. * नामक एक लड़की का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। सैद के. के. * दर्शन सिंह की बेटी थी, जो एक विकलांग थी।

शिक्षक और एक गरीब व्यक्ति थे। मैं चश्मदीद गवाह था

शिकायतकर्ता पक्ष लेकिन उसने उनके अनुसार गवाही नहीं दी और सच बोला, शिकायतकर्ता पक्ष उसके खिलाफ नाराज हो गया। मैं और प्रेम कुमार और नरेन दत्त उक्त के. के. * के मामले का पीछा कर रहा था, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उस मामले में शिकायतकर्ता पक्ष के कुछ व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। शिकायतकर्ता पक्ष को बड़े जमींदार होने के नाते वर्तमान झूठा मामला मिला है

और कमजोर शरीर। उसे दो लोगों द्वारा पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्य अभियुक्तों के साथ हमारी कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है। मैं निर्दोष हूँ और शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा बहुत सारे धन और भूमि के बल पर मुझे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। मेरा अलग निवास है। अन्य चार अभियुक्तों और अलग-अलग व्यवसाय के।

12.2 . बचाव पक्ष के साक्षय में, डी. डब्ल्यू.-2 सुखविंदर सिंह से पूछताछ की गई कि डी. डब्ल्यू.-3 जोरा सिंह को वाहन पर चालक के रूप में तैनात किया गया था। नेस डी. डब्ल्यू.-3 ने कहा कि उन्हें उक्त वाहन पर चालक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था; कि लगभग 11 बजे, उन्होंने हंगामा सुना और उस स्थान पर पहुंचे जहां 4/5 व्यक्ति 4/5 व्यक्तियों को घायल कर रहे थे; और आरोपी नारायण दत्त, प्रेम कुमार और मंजीत सिंह को जाना जाता था और वे मौके पर मौजूद नहीं थे। डी. डब्ल्यू.-6 अमरजीत सिंह मंजीत सिंह बनाम।

उन्होंने कहा कि वे अदालती परिसर बर्नाला में भी ड्यूटी पर थे; कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उन्होंने पक्षों को अलग कर दिया और कृपाण एकत्र किए; कि आरोपी मंजीत सिंह, प्रेम कुमार और नरेन उन्हें जानते थे और ये लोग अदालत परिसर बर्नाला में मौजूद नहीं थे।

वह स्थान जहाँ लड़ाई हुई थी। डी. डब्ल्यू.-4 गुरचरण सिंह धलीवाल, अधिवक्ता ने खुद को एक चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हुए कहा कि 3/4 व्यक्तियों ने 3/4 व्यक्तियों को घायल किया; और उन्होंने आरोपी प्रेम कुमार, नारायण दत्त और मंजीत सिंह को पीड़ितों को घायल करते हुए नहीं देखा था। डी. डब्ल्यू.-8 जे. एन. शर्मा, अधिवक्ता ने कहा कि कांस्टेबल अमरजीत सिंह की भूमिका पर प्रशंसा पत्र बार से एस. एस. पी. बर्नाला को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने घटना की शुद्धता की पुष्टि नहीं की।

12.3 . जहाँ तक अपीलार्थी मंजीत सिंह की बहाना याचिका का संबंध है, इस मामले में प्रत्यक्ष गवाह डी. डब्ल्यू.-9 कुलवंत सिंह थे।

पंचायत के सदस्य होने के बारे में कहा। इस गवाह ने कहा कि 03.03.2001 पर, 11.30 सुबह, अपीलकर्ता मंजीत सिंह एक महिला सदस्य के साथ गांव धानेर में अपने घर पर एक सड़क के स्तर के बारे में आया था, और वह उनके साथ मौके पर गया था। गवाह के अनुसार, अपीलार्थी मंजीत सिंह उस समय हैरान नहीं थे। इस गवाह ने अज्ञानता व्यक्त की कि क्या मंजीत सिंह जे. एम. एफ. सी. बर्नाला की अदालत में लंबित एक मामले में आई. डी. 1 पर पेश हुए थे। इस गवाह ने अपीलार्थी मंजीत सिंह के कथित झूठे निहितार्थ के संबंध में पंचायत या उच्च प्राधिकारी को कोई आवेदन नहीं दिया। इस गवाह डी. डब्ल्यू.-9 और बचाव पक्ष में जांचे गए अधिकांश अन्य गवाहों का आचरण, कम से कम कहने के लिए, किसी भी विश्वास को प्रेरित करने के लिए विचित्र और अप्राकृतिक था।

12.4 गवाह डी. डब्ल्यू.-3 जोरा सिंह और डी. डब्ल्यू.-6 अमरजीत सिंह पुलिस प्रतिष्ठान में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे।

क्रमशः सिपाही। उनकी गवाही से, इतना ही स्पष्ट है कि एक घटना वास्तव में दी गई तारीख को, दिए गए समय पर और निर्दिष्ट स्थान पर यानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स बर्नाला में हुई थी। उन्होंने कथित तौर पर दो गुटों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप किया। यह थोड़ा अजीब लगता है कि घटना के चश्मदीद गवाह होने और स्वयं पुलिस कर्मी होने के बावजूद, न तो उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में मामले की रिपोर्ट करने की परवाह की और न ही आईओ उनके बयान ले सके और उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में उद्धृत कर सके। डी. डब्ल्यू.-4, गुरचरण सिंह धलिवाल, अधिवक्ता का आचरण भी उतना ही अप्राकृतिक था।

अगर वह

(2019) 11 एस. सी. आर. होते।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत परिसर में हुई घटना के चश्मदीद गवाह, ऐसा कोई कारण नहीं था कि एक कानून पेशेवर होने के नाते, उन्होंने मामले की सूचना नहीं दी होगी या आई. ओ. द्वारा उनकी जांच नहीं की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि डी. डब्ल्यू.-4 ने प्रयास किया सुझाव है कि 3/4 व्यक्तियों ने 3/4 व्यक्तियों को चोट पहुँचाई जबकि डी. डब्ल्यू.-6 ने कहा कि 3/5 व्यक्तियों ने 3/5 व्यक्तियों को चोट पहुँचाई। इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या में यह विसंगति महत्वहीन नहीं है। डी. डब्ल्यू.-4 का इरादा स्पष्ट रूप से अपराध की गंभीरता को कम करना और "5" के आंकड़े से बचना था ताकि मामले को आई. पी. सी. की धारा 149 से हटा दिया जा सके। किसी भी मामले में, इन व्यक्तियों द्वारा नकारात्मक में केवल यह सुझाव कि उन्होंने तीन अभियुक्त व्यक्तियों मंजीत सिंह, प्रेम कुमार और नारायण दत्त को मौके पर नहीं देखा, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस और भरोसेमंद साक्ष्य को विस्थापित नहीं करता है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इन गवाहों को पूरी तरह से अविश्वसनीय बताते हुए खारिज कर दिया है।

12.5 . तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, जहां अभियोजन पक्ष के संबंधित गवाहों को बहाना की याचिका का सुझाव नहीं दिया गया था;

और, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने स्वयं के बयान में, अपीलार्थी मंजीत सिंह ने यह नहीं कहा कि वह प्रासंगिक समय पर स्थल पर मौजूद नहीं था और वह कहीं और मौजूद था, इस याचिका को केवल एक अपरिष्कृत विचार के रूप में खारिज किया जा सकता है और कुछ नहीं। दी गई परिस्थितियों में, गवाह डी. डब्ल्यू.-9, कुलवंत सिंह को केवल एक मनगढ़ंत गवाह कहा जा सकता है, जिसे हाल ही में किसी तरह अपीलार्थी मंजीत सिंह की प्रासंगिक समय पर किसी अन्य स्थान पर उपस्थिति का मामला बनाने के लिए पेश किया गया था। ऐसे गवाह को अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिपरीक्षा के माध्यम से और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में अपीलार्थी मंजीत सिंह की याचिका में विशिष्ट दावे के माध्यम से ऐसी याचिका के आधार के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

इसके अलावा कि इस गवाह द्वारा किए गए दावे के संबंध में कोई सहायक सामग्री नहीं है, यह भी उल्लेखनीय है कि जब अपीलकर्ता गाँव की लड़की के उक्त बलात्कार और हत्या के मामले का उत्सुकता से पीछा कर रहा था और मामला 03.03.2001 पर अदालत में तय किया गया था, तो उसके लिए अदालत परिसर में उपस्थित होने का हर कारण था जहां सुनवाई होनी थी। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, अपीलार्थी मंजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत बहाना की याचिका खोखली बनी हुई है और इसे केवल खारिज किया जा सकता है।

अन्य विवाद

13. अपीलार्थी मंजीत सिंह की ओर से दूसरा तर्क

कि अपराध के साथ उसका संबंध वसूली के अभाव में स्थापित नहीं हुआ है-मंजीत सिंह बनाम।

अपराध के हथियार को केवल अस्वीकार किया गया है। जैसा कि देखा गया है, आई. ओ. ने पहले स्थान पर अन्य चार अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयानों पर वसूली की। अपीलार्थी मंजीत सिंह के संबंध में, आई. ओ. ने इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया कि वह निर्दोष था और उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। यही आई. ओ. का मूल कारण प्रतीत होता है। अपीलार्थी मंजीत सिंह द्वारा प्रयुक्त अपराध के हथियार की बरामदगी के लिए कोई प्रयास नहीं करना। हालाँकि, इस चूक का अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, जहाँ विधानसभा के नेता के रूप में अपीलकर्ता मंजीत सिंह की भागीदारी, जिसने उकसावे के साथ हमला शुरू किया और फिर हमले में भाग लिया, संदेह से परे स्थापित है।

13.1 . इसके अलावा, इस सुझाव में शायद ही कोई बल है कि अपीलार्थी मंजीत सिंह को दुश्मनी के लिए गलत तरीके से फंसाया गया था। में

इस मामले की परिस्थितियों में, यदि किसी भी तथाकथित शत्रुता को ध्यान में रखा जाना है, तो यह अपीलार्थी और उसके साथियों के खिलाफ समान रूप से काम करता है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी बलात्कार और हत्या के उपरोक्त मामले का बारीकी से पीछा कर रहा था और शिकायतकर्ता पक्ष में उक्त मामले में अभियुक्त से संबंधित व्यक्ति शामिल थे। शत्रुता का कारक केवल शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों पर हमला करने, हमला करने और चोट पहुँचाने के लिए सभा के उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन देगा। 13.2 . इसी तरह, अभियोजन मामले के समर्थन में स्वतंत्र गवाहों की कमी के बारे में निवेदन भी निराधार है। वहाँ कोई नहीं है

यह नियम कि प्रत्येक आपराधिक मामले में, एक घायल चश्मदीद गवाह की गवाही को तथाकथित स्वतंत्र गवाह (एस) से पुष्टि की आवश्यकता होती है। जब घायल चश्मदीद गवाह का बयान भरोसेमंद और विश्वसनीय पाया जाता है, तो उस आधार पर दोषसिद्धि हमेशा दर्ज की जा सकती है, निश्चित रूप से,

सभी तथ्यों और आसपास के कारकों पर ध्यान दें। वर्तमान मामले में, घायल चश्मदीद गवाहों के विश्वसनीय साक्षय को केवल इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी।

गैरकानूनी सभा और घातक हथियारों के साथ दंगे

14. दोनों अपीलार्थियों की ओर से यह जोरदार तर्क दिया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 141 के गठन के लिए आवश्यक तत्व

समान उद्देश्य के साथ गैरकानूनी सभा स्थापित नहीं होने के कारण, आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से अपीलार्थियों को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

14.1 . आई. पी. सी. की धारा 141 का प्रासंगिक भाग उपयोगी हो सकता है।

निम्नानुसार अंकित किया गया है:

" 141. गैरकानूनी सभा। - पाँच या अधिक लोगों की सभा

एक "गैरकानूनी सभा" नामित करने वाले व्यक्ति, यदि सामान्य

उस सभा की रचना करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य है -

XXX

XXX

XXX

तीसरा। कोई शरारत या आपराधिक अतिचार, या अन्य कार्य करना।

अपराध; या

XXX

XXX

XXX

स्पष्टीकरण। - एक सभा जो गैरकानूनी नहीं थी जब यह एकत्रित, बाद में एक गैरकानूनी सभा बन सकती है।

14.2 . धारा 149, प्रत्येक सदस्य को गैरकानूनी रूप से इकट्ठा करना

सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का पाठ इस प्रकार है -

" 149. गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी है। - यदि कोई अपराध है

गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया कार्य

उस सभा के सामान्य उद्देश्य का अभियोजन, या ऐसा

जैसा कि उस सभा के सदस्यों को पता था कि होने की संभावना है

उस उद्देश्य के अभियोजन में प्रतिबद्ध, प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को करने का समय, का सदस्य है

वही सभा, उस अपराध का दोषी है।

14.3 . हम इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित और प्रतिपादित सिद्धांतों पर भी ध्यान दे सकते हैं जो एक गैरकानूनी सभा के घटकों के संबंध में है जो इस तरह के प्रत्येक सदस्य का रचनात्मक दायित्व है।

बेली। सिकंदर सिंह (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की

देर:

“ 15. इस प्रावधान में अनिवार्य रूप से दो तत्व हैं। (1) द.

गैरकानूनी संगठन के किसी भी सदस्य द्वारा अपराध करना।

सभा, और (ii) ऐसा अपराध में किया जाना चाहिए

सभा के सामान्य उद्देश्य का अभियोजन या होना चाहिए

जैसे कि उस सभा के सदस्यों को पता था कि वे संभवत: मंजीत सिंह बनाम होंगे।

पंजाब राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में प्रतिबद्ध। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य था, तो यह

यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा बनाने वाले सभी व्यक्ति

यह दिखाया जाना चाहिए कि उसने कुछ स्पष्ट कार्य किया है। अपराध के लिए प्रत्यावर्ती दायित्व वहन करने के उद्देश्य से इस प्रावधान के तहत ऐसी गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा की गई घटना के जारी रहने के दौरान किए गए अपराध के लिए गैरकानूनी सभा के अन्य सदस्यों का दायित्व इस तथ्य पर निर्भर करता है कि क्या अन्य

सदस्यों को पहले से पता था कि अपराध वास्तव में किया गया था

सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना थी।

***

***

***

17. एक "सामान्य वस्तु" के लिए पूर्व संगीत कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है और

हमले से पहले मन की एक आम बैठक। यह पर्याप्त है यदि गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य का उद्देश्य एक ही हो। देखें और उनकी संख्या पाँच या अधिक है और वे एक के रूप में कार्य करते हैं

उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए असेंबली। एक सभा का "सामान्य उद्देश्य" इसे बनाने वाले सदस्यों के कार्यों और भाषा से और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित किया जाना है। यह सभा के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण से एकत्र किया जा सकता है। गैरकानूनी के सामान्य उद्देश्य के निर्धारण के लिए

सभा, गैरकानूनी के प्रत्येक सदस्य का आचरण सभा, हमले से पहले और उसके बाद,

अपराध के लिए उद्देश्य, कुछ प्रासंगिक विचार हैं। गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य क्या है

घटना का विशेष चरण अनिवार्य रूप से तथ्य का एक प्रश्न है जिसे निर्धारित किया जाना है, घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए

सभा, सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियार, और व्यवहार

घटना स्थल पर या उसके निकट सदस्यों का। कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा के सभी मामलों में, एक गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य के साथ, उसे कार्रवाई में परिवर्तित किया जाना चाहिए या सफल होना चाहिए।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 17. ..... धारा 149 यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई अपराध है गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया कार्य

उस सभा के सामान्य उद्देश्य का अभियोजन, या जैसे कि उस सभा के सदस्य जानते थे कि उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है, प्रत्येक व्यक्ति जो

उस अपराध को करने का समय, उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है; और यह कि दृढ़ता से इस सिद्धांत को सामने लाता है कि द्वारा निर्धारित सजा

धारा 149 एक मायने में परिवर्तनशील है और हमेशा नहीं होती है।

इस आधार पर आगे बढ़ें कि अपराध वास्तव में किया गया है

गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा किया गया।

14.4 . सुबल घोराल (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने कई प्रमुख मामलों के बाद, सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया:

" 52. उपरोक्त निर्णय धारा 149 के दायरे को रेखांकित करते हैं।

आईपीसी. हमें सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ताकि वर्तमान मामले की उनके आलोक में जांच की जा सके। आई. पी. सी. की धारा 141 अवैध को परिभाषित करती है।

सभा पाँच या अधिक व्यक्तियों की सभा होती है। वे.

अपराध करने के लिए एक समान उद्देश्य होना चाहिए। धारा 142

आई. पी. सी. का मानना है कि जो कोई भी ऐसे तथ्यों से अवगत है जो किसी भी सभा को गैरकानूनी बनाते हैं और जानबूझकर उसमें शामिल होता है, वह उसका सदस्य होगा। आई. पी. सी. की धारा 143 में प्रावधान है -

गैरकानूनी सभा का सदस्य होने के लिए सजा। आई. पी. सी. की धारा 149 प्रत्येक व्यक्ति के रचनात्मक दायित्व का प्रावधान करती है।

एक गैरकानूनी सभा यदि कोई अपराध किसी के द्वारा किया गया है

उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में उसका सदस्य या उस सभा के ऐसे सदस्य जो जानते थे कि उस उद्देश्य के अभियोजन में प्रतिबद्ध होने की संभावना है। गैरकानूनी सभा का सबसे महत्वपूर्ण घटक आम है।

वस्तु। रचना करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य

सभा को खंड "प्रथम", मंजीत सिंह बनाम में वर्णित कोई भी कार्य या कार्य करना है।

" उस खंड का दूसरा ", तीसरा", चौथा "और पांचवां"। सामान्य वस्तु पल के स्पर पर बनाई जा सकती है।

आम सभा के सदस्यों द्वारा अपनाया गया आचरण

संयोजन एक प्रासंगिक कारक है। किस समय आम है

गैरकानूनी सभा का उद्देश्य इस पर निर्भर करेगा

प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। एक बार जब व्यक्ति का मामला आई. पी. सी. की धारा 149 के अंतर्गत आता है,

पीड़ित, सभी वास्तविक हमले में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर हथियार कुछ सदस्यों द्वारा ले जाए जाने का उपयोग नहीं किया गया था, जो उन्हें धारा 149 की सहायता से अपराध के लिए दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

आई. पी. सी. यदि वे गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा करते हैं। 53. लेकिन रचनात्मक दायित्व की इस अवधारणा को इतना विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए कि निर्दोष दर्शकों को गलत तरीके से प्रभावित किया जा सके। अक्सर, लोग अपराध स्थल पर इकट्ठा होते हैं

जिज्ञासा। वे गैरकानूनी के सामान्य उद्देश्य को साझा नहीं करते हैं

सभा। यदि बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ एक सामान्य आरोप लगाया जाता है, तो अदालत को सतर्क रहना होगा। इसे केवल निष्क्रिय दर्शकों को दोषी ठहराने की संभावना से बचना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया था।

गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा न करें। जब तक उचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिस्थितियाँ आश्वासन नहीं देती हैं

अभियोजन पक्ष के मामले में कि उन्होंने गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा किया, उन्हें सहायता के साथ दोषी नहीं ठहराया जा सकता है

आई. पी. सी. की धारा 149। प्रत्येक मामले में यह साबित किया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न केवल किसी स्तर पर गैरकानूनी सभा का सदस्य था, बल्कि सभी महत्वपूर्ण चरणों में था और सभी चरणों में सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा करता था।

उसके सामने यह राय बनाने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए कि अभियुक्त एक समान उद्देश्य साझा करता है। सामान्य वस्तु क्या है

गैरकानूनी सभा का एक विशेष स्तर पर आचरण के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना है हमले से पहले और हमले के समय गैरकानूनी सभा के सदस्य, अपराध स्थल पर या उसके पास उनका व्यवहार,

अपराध का उद्देश्य, उनके द्वारा ले जाए गए हथियार और इस तरह के अन्य प्रासंगिक विचार। आपराधिक अदालत को साक्ष्य का आकलन करने का यह कठिन और सावधानीपूर्वक अभ्यास करना पड़ता है

निर्दोष लोगों को अपराध में शामिल करने से बचें। ये सिद्धांत

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधारणा को कमजोर नहीं करते हैं

रचनात्मक दायित्व। वे सावधानी के नियम को मूर्त रूप देते हैं।

14.5 . हमें अन्य उद्धृत निर्णयों पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बुनियादी सिद्धांत यह हैं कि गैरकानूनी निर्णय के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

सभा इसे बनाने वाले व्यक्तियों की संख्या है अर्थात पाँच; और उनके सामान्य

वस्तु। उस सभा की रचना करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य पल भर में बनाया जा सकता है और इसके लिए पूर्व विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे सदस्यों द्वारा अपनाया गया आचरण सभा; घटना से पहले, दौरान और बाद में उनका व्यवहार; और उनके द्वारा उठाए गए हथियार सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए कुछ बुनियादी और प्रासंगिक कारक हैं।

14.6 . वर्तमान मामले के तथ्य, जैसा कि द्वारा स्थापित किया गया

अभियोजन पक्ष, यह स्पष्ट करता है कि प्रासंगिक तिथि अर्थात, 03.03.2001 और प्रासंगिक समय अर्थात, 11.15 पूर्वाह्न पर, वर्तमान अपीलार्थियों सहित कम से कम पाँच अभियुक्त व्यक्ति, बर्नाला न्यायालय में उपस्थित थे।

कॉम्प्लेक्स। शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्य कथित तौर पर आए थे

गाँव की लड़की के उपरोक्त बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई में भाग लेने के लिए वही न्यायालय परिसर, जिसमें उनके परिजन और रिश्तेदार

अभियुक्त व्यक्ति थे और मामले को आगे बढ़ाया जा रहा था

अपीलार्थी मंजीत सिंह। यह भी स्थापित किया गया है कि जब शिकायतकर्ता पक्ष से संबंधित व्यक्ति अपने वाहन में चढ़ने वाले थे, तो आरोपी व्यक्तियों ने उन पर हथियारों से हमला कर दिया। उल्लेखनीय है कि हमला

शिकायतकर्ता पक्ष को अपीलार्थी मंजीत सिंह द्वारा अभिव्यक्ति में गाँव की लड़की के बलात्कार और हत्या का बदला लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था " आज एह बच के ना जान के * दा बदला लाई के रहेंगे "।

स्पष्ट रूप से हमले के उद्देश्य के साथ-साथ उद्देश्य को भी सामने लाता है सभा। इसके अलावा, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मारे गए प्रहार

गवाह पीडब्लू पर दो वार-उसके दोनों हाथों पर 5। लाभ सिंह ने दिया बेअंत सिंह के सिर पर कृपाण प्रहार। अपीलार्थी सुखविंदर

सिंह ने पहला प्रहार दलीप सिंह पर किया लेकिन उनके दाहिने हाथ में मारा।

पीड़ित। अपीलार्थी सुखविंदर सिंह ने अपने कृपाण के हैंडल से पीडब्लू 6 वर्णम सिंह को एक और चोट पहुँचाई। इनके अलावा

आरोपी बख्तौर सिंह ने मृतक दलीप सिंह के सिर पर बार-बार वार किया और फिर पीडब्लू-6 वर्णम सिंह को तीन वार किए। इसके अलावा, बख्तौर सिंह ने भी अपना दम दिखाया।

वर्णम सिंह के बाएँ पैर पर कृपाण। यह संदेह से परे है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से काम किया था और उद्देश्य स्पष्ट था

पार्टी। लागू सिद्धांतों पर, हमें निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया; घातक हथियारों के साथ न्यायालय परिसर में दंगे में शामिल हुए; और शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों को गंभीर शारीरिक चोटें पहुंचाईं। मृतक दलीप सिंह पर सदस्यों ने बार-बार हमला किया।

जो जानलेवा साबित हुआ। पृष्ठभूमि के पहलुओं के साथ-साथ घटना के दौरान और उसके दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के आचरण में भी संदेह करने की कोई बात नहीं है कि इस सभा का प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा और सभा के प्रत्येक अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी रहता है।

15. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह बता सकते हैं कि गोविंद के मामले में

सिंह (ऊपर), जैसा कि अपीलार्थी सुखविंदर सिंह के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, यह घटना अचानक हुए झगड़े में हुई और

जिस क्षण अपीलार्थी ने चिमनी का दीपक उठाया और उसे अपनी बेटी पर फेंक दिया, जिसकी जलने की चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

घटना। दी गई तथ्य स्थिति में, इस न्यायालय ने दोषसिद्धि को परिवर्तित कर दिया

मामला। 6 इसका अनुवाद लगभग इस प्रकार होगा: " उन्हें आज भागने न दें; केके * का बदला लिया जाएगा।"586

ए.

निष्कर्ष

16. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ये अपील विफल हो जाती हैं और इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित और अपनी संबंधित सजा (ओं) के शेष हिस्से को पूरा करेंगे।

बी.

कल्पना के. त्रिपाठी